Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI.:	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब / अनापत्ति/3 28/2013 दिनांक: 2 0 / 09 / 2013

अनापत्ति

शासनादेश सं0-2103 / सत्तर-2-2012-2(166) / 2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 13.09.2013 के अन्तर्गत श्री परमानन्द स्मारक पू0 मा0 विद्यालय शिक्षा समिति , खीरी, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रस्तावित श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय ,खीरी, कोरांव, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अर्न्तगत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों / अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश 09.08.2012 के क्रम में नामित सदस्य, मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) के भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट / संस्तुति पत्रांक:-3564 / डी०एल०आर०सी० दिनांक: 07अगस्त, 2013 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि ग्राम खिझर, परगना खैरागढ़ तहसील कोरांव जिला इलाहाबाद स्थित गाटा सं0 57/2/0.457है0, 47/1/0.685है0 कुल रकबा 1.142है0 भूमि पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट / संस्तुति दिनांक: 07अगस्त, 2013 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि / गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। दोनो गाटों के बीच चक मार्ग स्थित होने के कारण छात्र / छात्राओं के सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाने का दायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं0-3075 / सत्तर-2-2002-2 (166) / 2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्राप्त होने / विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी।
5. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
6. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता / राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
7. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
8. शासनादेश सं02103 / सत्तर-2-2012-2(166) / 2012 दिनांक 09.08.2012 को अन्तर्गत शासन को सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति / निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
9. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों / प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव / प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
4. प्रबन्धक / सचिव, प्रस्तावित श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय खीरी, कोरांव, इलाहाबाद ।
5. निजी सचिव कुलपति मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI.:	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सम्पर्क सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 72 /2014

दिनांक : 29/11/2014

पूर्वानुमति-आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन विश्वविद्यालय में गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद (बैठक दिनांक: 28.11.2014) ने **प्रस्तावित श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय, खीरी, कोरांव, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों (यथा- 05 शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति की गयी है, के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट्स आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
7. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक, प्रस्तावित श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय, खीरी, कोरांव, इलाहाबाद को पूर्वानुमति आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. आदेश पुस्तिका।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

पूर्वानुमति आदेश संख्या–सी०एस०जे०एम०वि०वि० / सम्ब० / 72 / 2014 दिनांक: 29.11.2014 द्वारा कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन विश्वविद्यालय में गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद (बैठक दिनांक: 28.11.2014) की अनुमति की प्रत्याशा में **श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय, खीरी, कोरांव, इलाहाबाद** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांक: 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों** हेतु निम्नलिखित कमियों की पूर्ति की शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है:–

1. संस्था / महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों (यथा–05 शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है) को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत् अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति की गयी है, के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिवएवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट्स आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
7. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि० / सम्ब० / 979 / 2015 दिनांक 11 / 2 / 2015

***प्रतिलिपि*– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रबन्धक, श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय, खीरी, कोरांव, इलाहाबाद को उपरोक्त पूर्वानुमति आदेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। याचिका संख्या–61859 / 2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 एवं शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 के अनुपालन में महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के वर्णित विषयों में 07 (सात) सेक्शन (60 छात्र प्रति सेक्शन) कुल 420 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी जाती है।
2. उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
3. सहा०कुलसचिव (अतिगोपनीय) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0/सम्बद्धता/436/2018 दिनांक 07/08/2018

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.06.2018 के अनुपालन में **श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय, खीरी, कोरांव, इलाहाबाद, उ0प्र0** को निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र **संख्या-इ0रा0वि0वि0/सम्बद्धता/273/2018 दिनांक 30.05.2018** में इंगित कमियों की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय को **स्नातक स्तर** पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में **बी0ए0 पाठ्यक्रम** में 420 सीट्स (60 सीट्स प्रति विषय के अनुसार) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2018-19** से सम्बद्धता प्रदान किया जाता है:-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।**
6. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16 (20)/2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. **प्रबन्धक, श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय, खीरी, कोरांव, इलाहाबाद, उ0प्र0।**
4. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

Vinita
कुलसचिव

महादेव
प्रबन्धक
श्री प[illegible] स्मारक महाविद्यालय
[illegible], प्रयागराज

पता: सी0पी0आई0 परिसर, महात्मा गाँधी मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ0प्र0), फोन: 0532-2256207
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Allahabad (U.P.) Ph. 0532-2256207

Website www.alldstateuniversity.org
E-mail ID: [illegible]

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक: इ०रा०वि०वि० / सम्बद्धता / [illegible] / 2018 [illegible]

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित [illegible] 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2014) की धारा 37(2) [illegible] कुलपति जी के आदेश दि० 30.05.2018 के अनुपालन में श्री परमानन्द स्नातक महाविद्यालय [illegible] इलाहाबाद, उ०प्र० को निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–इ०रा०वि०वि० / सम्बद्धता / 273 / 2018 दिनांक 30.05.2018 [illegible] कमियों की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर [illegible] संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, [illegible] राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में 420 सीट [illegible] 60 [illegible] के अनुसार) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों के आधार पर शैक्षिक सत्र 2018–19 [illegible] प्रदान किया जाता है –

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003 [illegible] 2002 [illegible] सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत [illegible]
2. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र [illegible] सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली [illegible] निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता [illegible] विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता [illegible] नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर [illegible] रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की [illegible] महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता [illegible] जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र [illegible] वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य [illegible] जायेंगे।
6. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61659 / 2012 [illegible] मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में [illegible] 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
7. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित [illegible] शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर 1 2015 [illegible] प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत [illegible]

प्राचार्य [stamp]

डॉ. [illegible]
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, [illegible]
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रबन्धक, श्री परमानन्द स्नातक महाविद्यालय, [illegible] इलाहाबाद, उ०प्र०।
4. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. [illegible] कुलपति जी के [illegible]